

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक- 2/प्रो 2-101/2014 - 94

प्रेषक,

दया शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव (प्रोको0)।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

सचिव, बिहार राज्य जल पषद

पटना, दिनांक- 07/06/16

विषय- कनीय अभियंता के ए0सी0पी0 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश सं0-2/प्रो 2-101/2014-63 दिनांक-09.05.2016 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कनीय अभियंताओं को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृत किया गया है (छायाप्रति संलग्न) जिसे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक- यथोक्त।

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्रोको0)

ज्ञापांक- 94

दिनांक- 07/06/16

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (प्रशाखा-3 ए)/अनुलग्नक सहित माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता (नागरिक/रूपांकने)/प्रशाखा 4/संबंधित कनीय अभियंता/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्रोको0)

0

1

1

2

1

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

(125)

आदेश

आदेश सं०-2/प्र० 2-101/2014 - 63

पटना, दिनांक- 09/05/16

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के निम्नलिखित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) को वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-4685 दि०-25.06.2003, अधिसूचना सं०-769 दि०-28.01.2008, संकल्प सं०-1493 दि०-22.02.2008 एवं अधिसूचना सं०-6068 दि०-13.06.2013 के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003 के अंतर्गत दि०-11.04.2016 को विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा किए गए अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सामने कॉलम 5 में अंकित तिथि से वेतनमान (अपुनरीक्षित) रू० 6500-200-10500/- में प्रथम वृत्ति उन्नयन एवं कॉलम 6 में अंकित तिथि से द्वितीय वृत्ति उन्नयन वेतनमान (अपुनरीक्षित) रू० 10000-325-15200/- में कॉलम 7 के अनुसार स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम संख्या	नाम, पदनाम, वेतनमान एवं जन्म तिथि / सेवा निवृत्ति	योगदान तिथि	विभागीय पत्रांक - 1516 दिनांक - 10-10-2001 में वरीयता क्रमांक/सम्पुष्टि तिथि	प्रथम ए० सी० पी० की देय तिथि एवं देय वेतनमान (रू० 6500-10500)	द्वितीय ए० सी० पी० की देय तिथि एवं देय वेतनमान (रू० 10000-15200)	स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सत्य नारायण प्रसाद, सेवा निवृत्त कनीय अभियंता रू० 5000-8000 15-01-1944 / 31-01-2002	29-06-1972	117 / 23.12.85	09-08-1999	09-08-1999	वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक की चारित्री अप्राप्त रहने के कारण समिति द्वारा विचार नहीं किया गया।
2	श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता रू० 5000-8000 01-01-1957	24-09-1979	178 / 18.06.15	प्राप्त है। 09-08-99 से	24-09-2003	सम्पुष्टि दि०-18.06.15 को है। जबकि उसके पूर्व ही 09.08.99 के प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० दिया जा चुका है। वस्तुस्थिति से संतुष्ट होने के बाद आगामी बैठक में द्वितीय ए०सी०पी० के संदर्भ में विचार किया जायेगा।
3	श्री रामाशीष कुमार, कनीय अभियंता रू० 5000-8000 01-04-1954	13-08-1979	413 / 20.06.87	09-08-1999	13-08-2003	सेवापुस्त अप्राप्त रहने के कारण समिति द्वारा विचार नहीं किया गया।
4	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता रू० 5000-8000 02-01-1957	16-08-1979	421 / 23.12.85	09-08-1999	16-08-2003	अनुशंसित

रू०
9/5/16

क्रम संख्या	नाम, पदनाम, वेतनमान एवं जन्म तिथि / सेवा निवृत्ति	योगदान तिथि	विभागीय पत्रांक - 1516 दिनांक - 10-10-2001 में वरीयता क्रमांक/सम्पुष्टि तिथि	प्रथम ए० सी० पी० की देय तिथि एवं देय वेतनमान (रु० 6500-10500)	द्वितीय ए० सी० पी० की देय तिथि एवं देय वेतनमान (रु० 10000-15200)	रकतीनिग कर्मि अंशसा
1	2	3	4	5	6	7
5	श्री राम चन्द्र सिंह सेवानिवृत्त कनीय अभियंता रु० 5000-8000 01.09.1953 / 31.08.2013	21-08-1979	443 / 20.06.87	09-08-1999	21-08-2003	केवल प्रथम ए०सी०पी० अनुशसित, द्वितीय ए०सी०पी० के संदर्भ चारित्री अप्राप्त रहने कारण विचार नहीं किया गया।
6	श्री विरेन्द्र प्रसाद कनीय अभियंता रु० 5000-8000 27.06.1955 / 30.06.2015	19-09-1979	481 / 23.12.85	09-08-1999	19-09-2003	अनुशसित
7	श्री देव शरण यादव, सेवा निवृत्त कनीय अभियन्ता रु० 5000-8000 05-02-1953 / 28-02-2013	25-08-1979	457 / 23.12.85	09-08-1999	25-08-2003	विभागीय कार्रवाई संचालित रहने के का समिति द्वारा विचार न किया गया।
8	श्री सुरेन्द्र पासवान, कनीय अभियंता 08-01-1958	22-05-1983	- /	09-08-1999	22-05-2007	सेवापुस्त एवं चारित्री अप्राप्त रहने के कारण समिति द्वारा विचार न किया गया।
9	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, कनीय अभियन्ता रु० 5000-8000 30-07-1960	05-05-1988	588 / 01.01.92	05-05-2000	-	सेवापुस्त एवं अनुमान्य अवधि का पूर्ण चारित्री अप्राप्त रहने के कारण समिति द्वारा विचार नहीं किया गया।
10	श्री आजाद कमाल, कनीय अभियन्ता रु० 5000-8000 01-02-1959	20-05-1988	673 / 01.01.92	20-05-2000	-	दि०-03.09.98 के बाद वेतनपंजी से सत्यापन नहीं रहने के कारण समिति द्वारा विचार नहीं किया गया।
11	श्री विजय कुमार, कनीय अभियन्ता रु० 5000-8000 03-06-1963	07-05-1988	677 / 01.01.92	07-05-2000	-	अनुमान्य अवधि का चारित्री अप्राप्त रहने के कारण समिति द्वारा विचार नहीं किया गया।
12	श्री शंकर पासवान, कनीय अभियन्ता रु० 5000-8000 10-02-1963	29-08-1989	726 / 01.04.94	29-08-2001	-	चारित्री अप्राप्त रहने के कारण समिति द्वारा विचार नहीं किया गया।
13	श्री राम अब्दुल क़ुमार भारती, कनीय अभियन्ता रु० 5000-8000 03-04-1969	19-10-1995	798 / 11.09.12	19-10-2000	-	सम्पुष्टि की तिथि 12 के पत्रांक से 19-10-2000 ए०सी०पी० के अनुशसित करने के कारण आगामी बैठक में पुनर्विचार करने हेतु अनुशसित

क्रम संख्या	नाम, पदनाम, वेतनमान एवं जन्म तिथि / सेवा निवृत्ति	योगदान तिथि	विभागीय पत्रांक - 1516 दिनांक - 10-10-2001 में वरीयता क्रमांक/सम्पुष्टि तिथि	प्रथम ए० सी० पी० की देय तिथि एवं देय वेतनमान (रु० 6500-10500)	द्वितीय ए० सी० पी० की देय तिथि एवं देय वेतनमान (रु० 10000-15200)	स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा
1	2	3	4	5	6	7
14	श्री दिनेश कुमार सिंह, कनीय अभियंता रु० 5000-8000 01.03.1964	07-05-1988	643/ 01.01.92	07-05-2000	-	अनुशंसित
15	श्री प्रभु नारायण राय, तत्कालीन कनीय अभियंता, सम्प्रति सहायक अभियंता रु० 5000-8000 25.01.1956	17-02-1979	73/ 20.06.87	09-08-1999	17-02-2003	अनुशंसित
16	श्री रामाशीष बिन्दु कनीय अभियंता, रु० 5000-8000 12.12.1956	13-08-1979	149/ 23.12.85	09-08-1999	13-08-2003	अनुशंसित


(2) सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ए० सी० पी०) नियमावली - 2003 के अन्तर्गत कनीय अभियन्ताओं (यॉत्रिक) की अनुशंसा

क्रम संख्या	नाम, पदनाम, वेतनमान एवं जन्म तिथि / सेवा निवृत्ति	योगदान तिथि	विभागीय पत्रांक - 1516 दिनांक - 10-10-2001 में वरीयता क्रमांक	प्रथम ए० सी० पी० की देय तिथि एवं देय वेतनमान (रु० 6500-10500)	द्वितीय ए० सी० पी० की देय तिथि एवं देय वेतनमान (रु० 10000-15200)	स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री संत लाल महतो, सेवा निवृत्त कनीय अभियन्ता यॉत्रिक रु० 5000-8000 02-01-1947	08-03-1979	85/ 13.07.89	09-08-1999	08-03-2003	लगातार सेवा सत्यापन नहीं रहने एवं चारित्री अप्राप्त रहने के कारण समिति द्वारा विचार नहीं किया गया।
2	श्री भारतेन्दु कुमार झा, कनीय अभियंता, 05-11-1957	28-01-1981	24/ सेवा सम्पुष्ट नहीं है।	09-08-1999	28-01-2005	चारित्री अप्राप्त रहने के कारण समिति द्वारा विचार नहीं किया गया।
3	श्री अवधेश कुमार, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, पी०बी० 2- 4200/- 01-12-1951/30-11-2011	23-03-1983	29/ सम्पुष्टि की तिथि अप्राप्त	09-08-1999	23-03-2007	चारित्री अप्राप्त रहने के कारण समिति द्वारा विचार नहीं किया गया।

9/1/17

15/05
(126)

2. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त ए0सी0पी0 योजना/एम0ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं उन्हें भुगतान की गई राशि/अंतर राशि की वसूली कर ली जायेगी।
3. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
4. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त की सम्यक् जांच कर लेंगे एवं जांचोपरान्त स्वीकृत लाभों में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलम्बन, बर्खास्तगी, दंडादेश जो सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन को प्रभावित करता हो) पाया गया तो नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
5. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप कर्मी का वेतन नियतिकरण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के नियम-8 के अनुसार किया जाना है। वेतन नियतन मौलिक नियमावली के नियम-22 (i), ए (i) के प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्री/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि उक्त नियमावली के प्रावधानों को अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।
6. इसपर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।



(रामजन्म जीसवान)
विशेष कार्य पदाधिकारी

Email

ज्ञापांक- 63

दिनांक- 09/05/16

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रामजन्म जीसवान)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक- 63

दिनांक- 09/05/16

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रामजन्म जीसवान)
विशेष कार्य पदाधिकारी